भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 474
(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों का विनियमन

474. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री उन्मेश भैय्या साहेब पाटिल:
डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में आभासी डिजिटल संपत्तियों को विनियमित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार वचुर्अल डिजिटल संपत्तियों का व्यापार करने वालों को निवेशक सुरक्षा प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की योजना क्रिप्टो-मुद्राओं का उपयोग करके धन शोधन और आतंक वित्तपोषण से संबंधित जोखिमों को दूर करने की है और यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके धन शोधन और आतंक वित्तपोषण के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): क्रिप्टो आस्तियां पारिभाषिक रूप से सीमा रहित होती हैं और विनियामक क्रय-विक्रय से बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः विनियमन अथवा प्रतिबंध हेतु कोई विधान तभी प्रभावकारी हो सकता है जब इस हेतु जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समान अध्याय और मानकों का विकास हो।

आरबीआई 24 दिसंबर, 2013, 01 फरवरी, 2017 और 05 दिसंबर, 2017 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से वर्चुअल मुद्रा (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को सावधान कर रहा है कि वीसी संबंधी कार्य-व्यापार संभावित आर्थिक, वित्तीय, परिचालन, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से जुड़ा है। आरबीआई ने 31 मई, 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से स्वयं द्वारा विनियमित संस्थाओं को भी सलाह दी है कि वे अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), धन शोधन निरोध (एएमएल),

आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दायित्वों आदि के लिए मानकों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अनुरूप वीसी में लेन-देन के लिए ग्राहक संबंधी आवश्यक कार्रवाई जारी रखें और साथ ही विदेशी धन प्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहा है जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी धन शोधन में शामिल पाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, अपराध से अर्जित 936 करोड़ रुपये कुर्क/जब्त/रोके गए हैं, 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 01 पूरक पीसी सहित 06 अभियोजन शिकायतें (पीसी) विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष दर्ज की गई हैं।

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत 289.28 करोड़ रुपये की आस्तियां फेमा की धारा 37क के तहत जब्त किए गए हैं और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वज़ीरएक्स के रूप में जाना जाता है, और इसके निदेशकों को फेमा के तहत 2790 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन के लिए 01 कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

*****